Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में पुलिस सहायक उप निरीक्षक व कॉन्सटेबल 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **22 हजार रूपये संदिग्ध राशि मिली।**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *08 सितम्बर गुरुवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना आसपुर तथा विजयपाल सिंह कॉन्सटेबल पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे रिश्तेदार के विरूद्ध पुलिस थाना आसपुर में दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में सुरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा 01 लाख रूपये रिश्वत राशि तथा मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण को हल्का करने तथा गिरफ्तार आरोपी से मारपीट नहीं करने की एवज में विजयपाल सिंह कॉन्सटेबल पुलिस थाना आसपुर द्वारा 40 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस** श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी की डूंगरपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय **श्री हरिशचन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक** व टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह निवासी पीपलदा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर तथा विजयपाल सिंह पुत्र करणसिंह निवासी चन्दोड़ा पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर, हाल कॉन्सटेबल पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर को परिवादी से **50 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विजयपाल सिंह के कार्यालय की टेबल की दराज से 22 हजार रूपये की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।